

ग्राम : पर्यावरण
GRAM - PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन एवं फैक्स : 05278-245411
Tolo & Fax : 05278-245411
Email: rofalzabadd@uppcb.com



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

क्रमांक : 445/F-21/NGT/2024
Ref. No. :

दिनांक : 27/7/2024
Dated :

To,
The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Response on behalf of Respondent No-1 Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 24.04.2024 passed by Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 12 of 2023 in the matter of Alok Kumar Mishr & Anr Versus State of UP & Ors.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 24.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 12 of 2023 in the matter of Alok Kumar Mishr & Anr Versus State of UP & Ors. Please find attached herewith the response on behalf of Respondent No-1 Uttar Pradesh Pollution Control Board for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,

(Dr. T.N. Singh)
Regional Officer

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
In
ORIGINAL APPLICATION NO- 12/2023

IN THE MATTER OF:

Alok Kumar Mishr & Anr.

Applicant

Versus

State of UP & Ors.

Respondent

Order Date- 24.04.2024

Next Listing- 05.08.2024

Response on behalf of the Respondent No-1, Uttar Pradesh
Pollution Control Board, in compliance to the order dated
24.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 12 of
2023 In the matter of Alok Kumar Mishr & Anr Versus State
of UP & Ors.

That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 24.04.2024 in Original Application No. 12 of 2023 In the matter of Alok Kumar Mishr & Anr Versus State of UP & Ors has passed the directions. The relevant excerpt of the order is as below:-

"..... 3. Hence, we deem it proper to implead the following as respondents In the matter:-

- (i) Member Secretary, UPPCB;
(ii) District Magistrate, Gonda;
(iii) M/s. Balrampur Chini Mills Ltd. (Sugar Unit), Village Datauli,
Tehsil Mankapur, District, Gonda, UP;
(iv) M/s. Balrampur Chini Mills Ltd. (Distillery Unit), Village
Datauli, Tehsil Mankapur, District, Gonda, UP.
4. Sh. Pradeep Misra, Learned Counsel accepts notice on behalf of
respondent no.1-UPPCB.
5. Let notice be issued to other respondents for filing their
response/objections to the report at least one week before the next
date of hearing....."

Response-


1. That in compliance to the order dated 05.02.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in Original Application No. 12/2023, a Joint Committee Report has been submitted by the Regional Office, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Lucknow vide letter no.XXI/ENV/NGT/CC/126/2023/46 dated-23.04.2024 before the Hon'ble Tribunal, New Delhi.
2. That in pursuance to the recommendation made in the above Joint Committee Report, the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 18.07.2024 has issued a directions under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against the both industries in question i.e. M/s. Balrampur Chini Mills Ltd. (Sugar Unit), Village Datauli, Tehsil Mankapur, District, Gonda, UP, and M/s. Balrampur Chini

Mills Ltd. (Distillery Unit), Village Datauli, Tehsil Mankapur, District, Gonda, UP. The copy of the letters dated 18.07.2024 are being collectively attached herewith as Annexure No-1 to this response.

The above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

Date:

Place: Ayodhya


(Dr TN Singh)
Regional Officer,
UP Pollution Control Board,
Ayodhya.



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H/14225/सी-6/सहगति जल-50/निर्देश/आयोध्या/2024

दिनांक 18-7-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (शुगर डिवीजन)
यूनिट-दतौली, मनकापुर,
जनपद-गोण्डा।

मोबाइल नं०- ९०९५०२३०।

यह कि मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (शुगर डिवीजन) यूनिट-मनकापुर, दतौली जनपद-गोण्डा जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में गन्ने का प्रयोग कर चीनी के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-12/2023 आलोक कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 05.03.2024 एवं 19.03.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या की प्रति ना० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

संयुक्त समिति की आख्या में अन्य संस्तुतियों के साथ-साथ निम्न संस्तुतियां भी की गई है :-

1. The Unit should optimize the performance of its STP so as to meet the prescribed standard.
2. The Unit should prepare comprehensive irrigation management plan by engaging an Agricultural Scientist or Agricultural University/Institute as per the CPCB guidelines titled "Guideline for Utilization of treated effluent in irrigation" and submit the same to SPCB which shall verify the same while issuing Consent to the Unit. Further, UPPCB, may incorporate the recommendations of the Irrigation Management Plan as conditions of Consent to Operate granted to the Unit, as per CPCB's Guidelines.
3. The Unit should install permanent structure over and above the drain (not below the drain) for taking the ETP treated effluent to command area so as to rule out any misuse of HDPE pipeline for bypass of effluent into the drain. The Unit should also clean the drain along the boundary wall.
4. The Unit should ensure proper operation & maintenance of SRS unit, so that Sulphate may be efficiently removed from the effluent.
5. The Unit should maintain proper logbook record of Hazardous and other waste and maintain the manifest for hazardous & other waste (Form 10 [See rule 19 (1)]). Further record of ETP sludge generation and use should also be maintained.
6. The Unit should apply for the CTO regarding uses of Ash, sludge, fermenter sludge for manufacturing of Granules in the Granulation plant and also for the uses of press mud for Briquette manufacturing.

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

(1)



7. The Drain-1 is passing through the Sugar Unit premises, therefore UPPCB should examine the issue as per the land records in consultation with land revenue department and irrigation department and take appropriate action so as to rule out any possible effluent discharge through the Drain in their premises.

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जन स्वास्थ्य के हित में राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत उद्योग को निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

उद्योग भेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (शुगर डिवीजन) यूनिट-मनकापुर, दतौली जनपद-गोण्डा द्वारा संयुक्त समिति द्वारा की गई उपरोक्तनुसार संस्तुतियों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या विलम्बतम 15 दिवस में राज्य बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

उद्योग द्वारा उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोण्डा
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी निर्देश की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी निर्देश के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

१. नि
↓

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या/सी-6/सहगति जल-52/निर्देश/अयोध्या/2024

दिनांक 18.7.24
पंजीकृत

सेवा में

मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (आसवनी इकाई)
यूनिट-दत्तौली, मनकापुर,
जनपद-गोण्डा। गोबाइल नं०- न० ३६/१२३०/

यह कि मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (आसवनी इकाई) यूनिट-मनकापुर, दत्तौली जनपद-गोण्डा जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में मोलारोस का प्रयोग कर औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि गा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सी०-12/2023 आलोक कुमार मिश्रा एव अन्य बनाम स्टेट ओफ़ दू०पी० में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 05.03.2024 एव 19.03.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या की प्रति गा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

संयुक्त समिति की आख्या में अन्य संस्तुतियों के साथ-साथ निम्न संस्तुतियां भी की गई है :-

1. The Unit should not exceed the alcohol production and adhere alcohol production as consented capacity permitted by UPPCB and prescribed under the EC (Environment Clearance).
2. The Unit should properly operate & maintain the Aeration Tank and Clarifiers (secondary and tertiary) of CPU and accordingly rectify the problem at the earliest.
3. The Unit should properly operate & maintain the CPU and enhance the performance of CPU and RO so as to meet the desired water quality for reuse & recycle of the treated effluent with the process
4. The Unit should provide a demarcation line in the Lagoon and should store the spent- wash below the demarcation line
5. The Unit shall dismantle the additional two lagoons provided at old bio-compost yard and thereafter level them accordingly under the supervision of UPPCB.
6. The Unit should apply for the CTO regarding uses of Ash (Slop fired boiler), fermenter sludge for manufacturing of Granules in the 'Granulation Plant'.

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुगोदगोपरान्त जन स्वास्थ्य के हित में राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत उद्योग को निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

उद्योग मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (आसवनी इकाई) यूनिट-मनकापुर, दत्तौली जनपद-गोण्डा द्वारा संयुक्त समिति द्वारा की गई उपरोक्तनुसार संस्तुतियों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या मिलान्वत 15 दिवस में राज्य बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

उद्योग द्वारा उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

राक्षम अधिकारी द्वारा अनुगोदगोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोण्डा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी निर्देश की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए पावती एव जारी निर्देश के संका में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

email id - T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या / सी-6 / सहमति वायु- 52 / निर्देश / अयोध्या / 2024

दिनांक 18.7.21
पंजीकृत

संज्ञा में,

मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (आसवनी इकाई)
यूनिट-दतौली, मनकापुर,
जनपद-गोण्डा। मोबाइल नं०-7:80402301

यह कि मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (आसवनी इकाई) यूनिट-मनकापुर, दतौली जनपद-गोण्डा जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में मोलारोस का प्रयोग कर औद्योगिक एल्कोहल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(के) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-12/2023 आलोक कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 05.03.2024 एवं 19.03.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या की प्रति मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

संयुक्त समिति की आख्या में अन्य संस्तुतियों के साथ-साथ निम्न संस्तुतियां भी की गई है :-

1. The Unit should not exceed the alcohol production and adhere alcohol production as consented capacity permitted by UPPCB and prescribed under the EC (Environment Clearance).
2. The unit should provided easy ladder (spiral /scaffold type) at the stack to ensure safe access to sampling port for emission monitoring as per CPCB Emission Regulations Part-III.
3. The Unit should apply for the CTO regarding uses of Ash (Slop fired boiler), fermenter sludge for manufacturing of Granules in the 'Granulation Plant'.

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जन स्वास्थ्य के हित में राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत उद्योग को निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

उद्योग मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, (आसवनी इकाई) यूनिट-मनकापुर, दतौली जनपद-गोण्डा द्वारा संयुक्त समिति द्वारा की गई उपरोक्तनुसार संस्तुतियों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या विलम्बतम 15 दिवस में राज्य बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

उद्योग द्वारा उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोण्डा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी निर्देश की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी निर्देश के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना, सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त-6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4/256/सी-6/सहमति वायु-50/निर्देश/अयोध्या/2024

दिनांक 18/7/24
पंजीकृत

सेवा में,

भेसरस बलरामपुर चीनी मिल लि०, (शुगर डिवीजन)

यूनिट-दतौली, मनकापुर,

जनपद-गोण्डा।

मोबाइल नं०-

मो० नं० 8०५०२३०१

यह कि भेसरस बलरामपुर चीनी मिल लि०, (शुगर डिवीजन) यूनिट-मनकापुर, दतौली जनपद-गोण्डा जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में गन्ने का प्रयोग कर चीनी के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(क) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-12/2023 आलोक कुमार मिश्रा एवं अन्य वनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 05.03.2024 एवं 19.03.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या की प्रति मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

संयुक्त समिति की आख्या में अन्य संस्तुतियों के साथ-साथ निम्न संस्तुतियां भी की गई है :-

1. The Unit should ensure regular water sprinkling and also take other necessary measures in and around the boiler and near bagasse storage area to minimize the bagasse dust dispersion in the ambient environment.
2. The Unit should provide easy ladder (spiral /scaffold type) ladder at stacks instead of monkey ladder to ensure safe access to sampling port for emission monitoring as per CPCB Emission Regulations Part-III.
3. The flue-gas of boiler should be diverted and released through common stack or separate stack with the permission of UPPCB and UPPCB may examine the matter and take further necessary action and may incorporate the same in the CTO.
4. The Unit should apply for the CTO regarding uses of Ash, sludge, fermenter sludge for manufacturing of Granules in the 'Granulation plant and also for the uses of press mud for Briquette manufacturing.

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जन स्वास्थ्य के हित में राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत उद्योग को निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

उद्योग भेसरस बलरामपुर चीनी मिल लि०, (शुगर डिवीजन) यूनिट-मनकापुर, दतौली जनपद-गोण्डा द्वारा संयुक्त समिति द्वारा की गई उपरोक्तनुसार संस्तुतियों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या विलम्बतम 15 दिवस में राज्य बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

उद्योग द्वारा उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(पृष्ठ-6)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोण्डा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी निर्देश की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी निर्देश के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(पृष्ठ-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in